मध्य क्षेत्रीय गुजराती बाज खेड़ावाल समाज (शिक्षा समिति) मुख्यालय-जबलपुर (म.प्र.)

छात्रवृत्ति / आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन संबंधी नियमावली-मार्गदर्शिका-2026-27

1. दानदाताओं द्वारा दी गई राशि के ब्याज से तथा इस बावत् प्राप्त राशि से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अतः प्राथमिक तक 3 लाख रुपये (के आवेदन विशेष परिस्थिति में ही मान्य होंगे) मिडिल 4 लाख रुपये, हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी 5 लाख रुपये, स्नातक 6 लाख रुपये, स्नातकोत्तर 7 लाख रुपये, बी.ई., मेडीकल, एग्रीकल्चर 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार ही आवेदन प्रेषित करें।
2. छात्रवृत्ति / आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र, केवल बाज खेड़ावाल दर्शन के इस अंक (जुलाई 2026) में छपे आवेदन फार्म में ही स्वीकार किये जायेंगे। सादे कागज या अन्य किसी प्रारूप वाले फार्म पर किये गये आवेदन निरस्त माने जावेंगे। इस अंक में छपे आवेदन पत्र की छाया प्रति का उपयोग भी किया जा सकता है।
3. आवेदन फार्म में चाही गई समस्त जानकारी सही एवं स्पष्ट अक्षरों में भरी जाना चाहिए एवं किसी भी बिन्दु पर चाही गयी जानकारी का स्थान रिक्त न छोड़ा जाये। बैंक की जानकारी स्पष्ट लिखी जावे।
4. आवेदन पत्र में (प्रायमरी स्तर तक के छात्र/छात्राओं को छोड़कर) आवेदक द्वारा स्वयं भी हस्ताक्षर किये जाना चाहिये।
5. आवेदन पत्र में पिता/माता/पालक में से किसी एक के हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं। उन्हें हस्ताक्षर यह सुनिश्चित / जाँच करने के उपरान्त ही करना चाहिए कि आवेदन-पत्र पूरी तरह से भरा गया है एवं आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही एवं संलग्न प्रमाण पत्र प्रामाणिक है।
6. उत्तीर्ण कक्षा से संबंधित मार्कशीट आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यदि आवेदन करते समय तक किसी आवेदक को मार्कशीट प्राप्त नहीं होती है तो भी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्रेषित किया जा सकता है, किन्तु आवेदन पत्र में यह दर्शाना आवश्यक है कि मार्कशीट कब तक प्रेषित कर दी जावेगी। मार्कशीट की प्रति प्राप्त न होने की स्थिति में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. आवेदक एवं उसके माता/पिता/पालक द्वारा आवेदन पत्र में सभी स्त्रोतों से प्राप्त आय सम्बन्धी जानकारी सही दर्शाई जाना चाहिए। सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आय सम्बन्धी अधूरी/गलत जानकारी देने एवं सभी आय प्रमाण पत्र संलग्न न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर कर स्वयं भी सत्यापित किया जाए। कम आय वाले विद्यार्थियों को अधिक सहयोग हो सके अतः उच्च आय वर्ग के लोग आवेदन करते समय इसका ध्यान रखें।
8. भोपाल, जबलपुर, सागर, दमोह, हटा, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, नर्मदापुरम्, बनारस, पूना, बैंगलुरू एवं सतना आदि में गुजराती बाज खेड़ावाल समाज के स्थानीय मंडल हैं। इन स्थानों के आवेदक अपना आवेदन स्थानीय मंडल की अनुशंसा कराकर ही शिक्षा समिति को भेजें। अन्य शहर के आवेदक मध्य क्षेत्रीय गुजराती बाज खेड़ावाल समाज, जबलपुर (म.प्र.) के किसी भी आजीवन सदस्य (सदस्यता क्रमांक के साथ) से अनुशंसा कराकर अपना आवेदन भेज सकते हैं।
9. जब कोई छात्र/छात्रा एक स्तर/कोर्स की पढ़ाई समाप्त कर, अगले स्तर/कोर्स की पढ़ाई हेतु किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश लेता/लेती है, तो उसे इससे सम्बन्धित प्रमाण के तौर पर एडमिट कार्ड अथवा जमा की गयी फीस की रसीद की छाया प्रति, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
10. छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदक को पूर्णकालिक कोर्स में एडमिशन लेना अनिवार्य है। पार्टटाईम / डिस्टेंस एज्यूकेशन कोर्स के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जावेगी।
11. आर्थिक सहायता के निर्णय के समय क्रमशः विधवा, शारीरिक विकलांग, वृद्धावस्था का मापदंड रखा जावेगा। संगठन के पास राशि उपलब्ध होने पर ही बेरोजगार को सहायता दी जावेगी।
12. निर्धारित आवेदन पत्र पर पूर्ण विवरण भरकर फार्म पर दिये गये पते पर दिनांक 30 सितम्बर 2026 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन निरस्त माने जावेंगे। छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता आवेदन पत्र, स्पीड पोस्ट/ डाक विभाग/कोरियर से, स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से सीधे, फार्म पर दर्शाये पते पर ही भेजें।
13. किसी भी तरह की जानकारी के लिए अध्यक्ष/सचिव शिक्षा समिति से संपर्क करें। समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। समिति दानदाताओं के निर्देशों का पालन करते हुए अपने विवेकाधिकार से नियमानुसार निर्णय करेगी।

कन्दर्प त्रिवेदी (हटा) (सचिव-शिक्षा समिति)
मो. नं. 9752698096

प्रवीण पंड्या (दमोह) (अध्यक्ष-शिक्षा समिति)
मो. नं. 94250-95903